Integr. J. Soc Sci., 2020, 7(1), 1-5 Article

INTEGRATED JOURNAL OF
SOCIAL SCIENCES

भारतीय जनजातीय शिक्षा का एक विश्लेष्णात्मक अध्ययन

An Analytical study of Tribal Education in India

अमित रत्न द्विवेदी (शोधछात्र), डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर (विभागाध्यक्ष)

Amit Ratan Dwivedi, Gopal Krishan Thakur

शिक्षा विभाग, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र

Education Department, Mahatma Gandhi International Hindi University, Wardha, Maharashtra, India.

Email: amitrdwivediau@gmail.com (ARD), gkthakur11@gmail.com (GKT)

Submitted on: 05-Jan-2020, Accepted and published on: 9-Mar-2020

संक्षेपिका Abstract

जनजातियों के शोषण व इनकी दयनीय दुर्दशा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी शिक्षा की कमी है। निरक्षरता से उत्पन्न अज्ञानता के कारण ही आदिवासी लोग नए आर्थिक सुअवसरों का लाभ नहीं उठा पाए। आदिवासी क्षेत्रों में विकासात्मक प्रक्रिया आरम्भ होने से दो विभिन्न शिक्षा प्रणालियाँ 'एक परम्परागत तथा दूसरी तकनीकी आधारित 'उत्पन्न हो गयी जिससे उनमे शिक्षा प्राप्त करने की कौन सी प्रणाली को अपनाया जाय इसको लेकर द्वन्द उत्पन्न हो गया। प्रस्तुत शोध पत्र में आदिवासियों की संख्या ,उनकी पहचान तथा भारतीय संविधान में आदिवासी से सम्बंधित प्रमुख प्रावधान एवं आदिवासियों की शैक्षिक स्थिति ,शिक्षा में आने वाली समस्याएं व उनके समाधान पर प्रकाश डाला गया है। आदिवासी शिक्षा से सम्बंधित साहित्य का पुनरावलोकन कर आदिवासी समाज की शिक्षा पर प्रकाश डाला गया है।

For the exploitation and suffering of the people, there is a lack of primarily responsible education. Owing to the increased reliability of indisputable population, the tribal did not take advantage of the new economic opportunities and the development process in the tribal areas led to two different systems of education "A tradition and technological base". The idea has been created with which the system of education adopted in them and the stand has been created. In the research paper the name of aboriginals, their identity and the principal provisions concerning the aboriginal in the Indian constitution and the academic position of tribes, highlights the problem faced in education and their situations. The development of literature relating to adios education highlights the education of tribal society.

Keywords: Tribes, Tradition, Running, Different Commision/ आदिवासी, परम्परा, प्रचलित ,विभिन्न आयोग

1971 में आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 90 लाख 1976 तक 4 करोड़ हो गई, सन 1993 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 7 करोड़ थी। आदिवासियों का बहुत बड़ा भाग भारतवर्ष की पूर्वी, मध्य तथा पश्चिमी भागों में संघनित है करीब 25% जनसंख्या दक्षिणी क्षेत्र में फैली हुई है एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदिवासी अपनी जीवनशैली, अपने अस्तित्व को अभी तक कैसे बचा पाए जबकि भारत जैसे देश में शहरी सभ्यता करीब ईसा से 2000 वर्ष पुरानी है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि 'भोजन की सुलभता' भोजन एकत्रित करने वाले आदिवासी बड़ा अस्थिर, अनिश्चित तथा विकट जीवन-यापन करते हैं लेकिन वनों के प्राकृतिक संसाधन उन्हें केवल मछलियां या जीव-जंतु ही नहीं देते बल्कि पर्याप्त मात्रा में फल, कंदमूल, सब्जी आदि भी देते हैं इस प्रकार इन्हें एक संतुलित आहार की प्राप्ति हो जाती है। ये शिकार कर अपना भोजन एकत्रित करने वाले, पशुचारी, शिल्पकार, चलते फिरते खेती करने वाले, स्थान विशेष पर स्थित होकर खेती करने वाले तथा उद्यमशील होते हैं (विद्यार्थी ,1975)।

अनुसूचित जनजाति की गणना सुधार आदेश के अनुसार भारत के विभिन्न राज्य में **करीब 414 प्रकार** की आदिवासी जातियां थी जिनमें से ओरावन, मुंडा, भील, संथाल, मझवार, खैरनार, पूर्वा, गोंड तथा हो प्रमुख जातियां थी। इस समय तक जनसंख्या के आधार पर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 75 जनजातीय समूहों को पहचानकर जनजातीय आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है (शर्मा घनश्याम तथा अन्य , 2018(।

शिक्षा की सांस्कृतिक धरोहर को वर्तमान समय में भी जीवंत रूप में बनाए हुए जनजाति के लोग अपने आप में विशिष्ट होते हैं। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक आदिवासी जाति अपने आप में विशेष हैं और यह विशेषता उसके क्षेत्र विशेषता से जुड़ी है। जनजातियों के शोषण व इनकी दयनीय दुर्दशा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी शिक्षा की कमी है। आदिवासी क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में निरक्षरता ज्यादा है (कार्लेकर, 1996 ; पटेल, 1994 ; शर्मा,1984)। निरक्षरता से उत्पन्न अज्ञानता के कारण ही आदिवासी लोग नए आर्थिक सुअवसरों का लाभ नहीं उठा पाए। आदिवासियों के शिक्षा की महत्ता को देखते हुए संविधान में अनुच्छेद **15,4 तथा 46** का प्रावधान किया गया है)भारत का संविधान,1950) जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाती, लिंग अथवा स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जायेगा (वर्मा, आर.2001)।

सभी विद्यार्थी चाहे वे प्रचलित समाज के हों या आदिवासी समाज के सभी के लिए 86वें संविधान संशोधन मे शिक्षा अनिवार्य कर दिया

गया है। वर्तमान समय में प्रचलित धारा के बच्चों की तुलना में आदिवासी बच्चे शिक्षा के लाभ से ज़्यादातर पिछड़े रहे हैं (जनजातीय आयोग की आख्या,2018)। विभिन्न प्रकार के उपाय करने पर भी आदिवासी बच्चों को स्कूल आकर्षित नहीं कर पाए। स्कूलों के आकर्षित न कर पाने का एक कारण यह भी है कि आदिवासी क्षेत्रों में जहां विद्यालय खोले भी गये हैं वहां भवनों की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं की गयी है।(माथुर ,1992 ;सिंह ,2003) भवनों की स्थिति यह है कि विद्यालयों की चहारदीवारी वाले स्कूलों में 13.4% की वृद्धि के साथ 2018 में 64.4% पर पहुँच गया है। लेकिन आज भी उत्तर पूर्व के तथा जम्मू कश्मीर के 2018 तक 50% विद्यालय पीने के पानी और लड़कियों के शौचालय से वंचित थे (ए.एस.ई.आर., 2018)। इसके अलावा शिक्षा का तात्पर्य संस्कृति का हस्तांतरण करना है, अर्थात एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का हस्तांतरण करती है किंतु शिक्षा के माध्यम से आदिवासी लोग जिन प्रथा और परंपराओं को हस्तांतरित करना चाहते हैं वह संभव नहीं हो पाता है क्योंकि शिक्षा एक नई परंपरा को जन्म देने लगती है जिससे कि उनमें एक संघर्ष उत्पन्न होने लगता है इसलिए वह औपचारिक शिक्षा से बचना चाहते हैं।(लाल आर.बी., 2009) औपचारिक शिक्षा से बचने का एक अन्य प्रमुख कारण यह भी है कि आदिवासी समाज के लोग ऐसे कार्यों पर ज्यादा जोर देते हैं जिससे किसी भी प्रकार से तत्काल लाभ की उम्मीद हो लेकिन शिक्षा से उन्हें यह लाभ पूरा होता प्रतीत नहीं होता है जिसकी वजह से वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के प्रति उदासीन रहते हैं(चौरसिया, 2004)।

आदिवासी शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा शिक्षा के माध्यम की भी है, जिस भाषा में हम पढ़ना चाहते हैं वह हिंदी, अंग्रेजी या कोई क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं जो उनकी अपनी भाषा से सर्वथा भिन्न होती है ऐसे में शिक्षा प्राप्त करने में और चीजों को समझने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जब उन्हें यह भाषा समझ में नहीं आती है तो उनका पढ़ाई से रूचि भी खत्म हो जाता है इसलिए भी वे औपचारिक शिक्षा से दूर हो जाते हैं) मोहापात्रा,2002)। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के असफलता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि जनजातीय क्षेत्र में नियुक्त कर्मचारियों को स्थानीय भाषा के ज्ञान का अभाव होता है।) दूबे ,एस.सी (.शिक्षण की पाठ्यवस्तु आदिवासी जन समुदाय की आवश्यकताओं और अभिरुचियों के अनुकूल नहीं होती हैं इसलिए ऐसी शिक्षा उनके लिए अप्रासंगिक हो जाती है) गुप्ता एस.पी., 2009)।

स्कूलों की व्यवस्था पर यदि नजर डालें तो ज्यादातर जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल लगभग 3 किमी की दूरी पर है)ए.आई.एस.ई.एस., 2009, Pp-26-27 (जिससे अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। स्कूलों की शिक्षण अवधि आदिवासियों के विभिन्न ऋतुओं से संबंधित क्रियाकलापों से मेल नहीं खाती है। औपचारिक शिक्षा आदिवासी बच्चे के अपनी सत्य से बहुत दूर होती है जिसकी वजह से वह शिक्षा की मुख्यधारा से अलग हो जाते हैं) वर्मा, आर.2001(। इसके अलावा आदिवासी समाज आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है जिसकी वजह से वे शिक्षा के प्रति उदासीन होने लगते हैं(श्रीवास्तव, 1968)।

बहुत सी आदिवासी जातियां अनेक उद्योगों में बधुआ मजदूर का कार्य कर रही है आज उनका अस्तित्व ही खतरे में है । इस दृष्टिकोण से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था आदिवासी समुदाय के लिए प्रभावहीन तथा अप्रासंगिक है। अशिक्षा आदिवासियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है) कार्तिकेश्वर ,2006(। किसी आदिवासी परिवार के लिए अपने लड़के या लड़की को स्कूल भेजना एक आर्थिक मुद्दा है जिससे उनकी पारंपरिक कार्यप्रणाली में बाधा पहुंचती है। बहुत से माता-पिता बच्चे की पढ़ाई का बोझ नहीं उठा सकते क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात भी आदिवासियों की आर्थिक तथा जैविक परिस्थितियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है(एल्विन, 1963)।

आदिवासियों की शिक्षा तथा स्थिति में सुधार हेतु विभिन्न आयोगों में प्रस्ताव लाये गये। शिक्षा की विषय वस्तु में आदिवासी लोगों का ध्यान शुरू में नहीं दिया गया। स्वतंत्रता पूर्व आदिवासी शिक्षा का कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सर्वप्रथम भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के शिक्षा का प्रावधान किया गया। समाज के सभी कमजोर वर्गों की शैक्षिक उन्नति का उत्तरदायित्व राज्य का है। अनुच्छेद-46 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति को विशेष रूप से प्रोत्साहन देगा तथा उनको किसी भी प्रकार के सामाजिक अन्याय से बचाएगा(सिंह ए . 2019) ।

आदिवासी समाज में सभी के विकास के लिए संविधान में शिक्षा का प्रावधान किया गया तथा विभिन्न आयोगों में इसकी संस्तुति भी की गयी है। कुछ कार्यक्रम जो सफल हुए हैं उनपर ध्यान देकर उनका विस्तारीकरण करना चाहिए। जनजातीय क्षेत्र में डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम सफल रहा है) दास,2006) इसके और अधिक परिवर्धन पर ध्यान देना चाहिए। आदिवासी समाज के बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता के अनुरूप आवासीय विद्यालयों व तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करने की व्यवस्था की जाये(शिक्षा आयोग,1964 -66)।

आदिवासी समाज में शिक्षा सभी को प्राप्त होनी चाहिए। शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जाना चाहिए। पिछड़े वर्गों तथा विशेष रूप से आदिम जातियों में शिक्षा का विकास करने के लिए तीव्र प्रयास किये जाने चाहिए(राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1968)।

शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों के समान लाया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों को अन्य जातियों के समान स्थिति में लाने लिए जनजाति क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खोलने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, पाठ्यक्रम व जनजाति भाषाओं में अनुदेशन सामग्री विकसित करने, आवासीय विद्यालय खोलने, प्रोत्साहन योजनाएँ बनाने जैसे उपायों को यथाशीघ्र लागू किया जाएगा) राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्ताव के उपरान्त कुछ स्थानों पर इसे लागू किया गया, जिन बच्चों को सुविधाएँ मिली उनमें रचनात्मक कौशल और शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि होते पाई गयी) पुरबसकर ,2007(। यदि आदिवासी बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का वही अवसर मिले जो विकसित समाज के बच्चों को मिल रहा है तो वे कई परिस्थितियों में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। एक शोध अध्ययन में आश्रम में अध्ययन कर रहे आदिवासी विद्यार्थियों का व्यक्तित्व अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों से श्रेष्ठ पाया गया (परिदा,2007)।

अनुसूचित जातियों जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा कोई न कोई पहल की ही जाती रही है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के सार्वजनीकरण करने के लिए तथा उनका नामांकन बढ़ाने के लिए उनकी बस्ती में विद्यालय खोलने चाहिए। जिसमे सत्र के प्रारम्भ मे सभी को नामांकन, विशेषकर अनुसूचित जाति व

जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग की लड़कियों का नामांकन कराने का उत्तरदायित्व शिक्षकों का होगा। इन बच्चों को छात्रवृत्ति, गणवेश, पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी तथा मध्यान्ह भोजन जैसे प्रोत्साहन देने चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाये। इन सबके अलावा कोचिंग, प्रशिक्षण तथा उपचारात्मक कक्षाओं द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े व्यक्तियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सकता है) कार्यान्वयन कार्यक्रम , 1992(। इन जनजातियों को समाज से अलग रख कर इनका विकास नहीं किया जा सकता जब तक कि ये समाज के अभिन्न अंग के रूप में नहीं जुड़ जाते।आदिम जनजातियों को मुख्य राष्ट्रीय संस्कृत के साथ पूर्ण विलय कर दिया जाए (मजूमदार ,1960) ऐसा कर देने से उनमे हीन भावना या समाज से अलग रहने की भावना नहीं रह जाएगी जिससे वे समाज के अन्य लोगों के साथ अपना विकास कर सकेंगे।

कुछ विचारकों का मानना है कि जनजातियों के लिए शिक्षा का प्रावधान मौलिकता के साथ किया जाये जिससे वे अपनी संस्कृति से दूर ना हो। "आदिवासियों को शेष भारत से पूर्ण रूप से सम्बन्ध विच्छेदित कर एकांत में रख, उनकी पूर्व सुन्दरता तथा शुद्धता को सुरक्षित रखा जाना चाहिए "(भूरिया ,1978(। आदिवासियों के लिए उन्ही के बीच से किसी को शिक्षक बनाना चाहिए या किसी ऐसे को शिक्षण कार्य सौपना चाहिए जो उनकी भाषा तथा संस्कृति से परिचित हों, तभी वे कुछ सीख सकेंगे और समाज के साथ आगे बढ़ने में सार्थ हो सकेंगे और धीरे-धीरे समाज के अभिन्न अंग बन कर विकास के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। शिक्षाशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानव वैज्ञानिकों के सम्मिलित विचार के अनुसार आदिवासियों की समस्या ना तो भारतीय समाज से पूर्ण विलय और ना ही पूर्ण विलग द्वारा ही सुलझ सकती हैं बल्कि एक ऐसी राष्ट्रीय नीति का निर्माण हो जिसमें आदिवासियों को धीरे-धीरे भारतीय समाज के साथ समाकलित किया जाय(उपाध्याय, पी., 2009)।

आदिवासियों के शिक्षा में गुणात्मक रूप से परिवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें चलायी जा रही है जिससे उनकी शैक्षिक स्थिति में वर्तमान समय में परिवर्तन हो रहा है। कक्षा 3 में नामांकित बच्चे 2016 की तुलना में 5% वृद्धि दर्ज कराई है। इसके आलावा कक्षा पांच एवं आठवीं के बच्चे पाठ्यपुस्तकों को पढ़ सकते हैं तथा साथ ही साथ गणित सम्बन्धी समझ में भी वृद्धि हुई है)ए.एस.ई.आर., 2018)।

भारत सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति के पूर्व उन्हें उस क्षेत्र विशेष से सम्बंधित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। जिस प्रकार प्रथम के माध्यम से पूर्व प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से चलाया जाता है) प्रथम, 2018, P-4 (उसी प्रकार जनजातीय क्षेत्र में भी नियुक्ति पूर्व शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर जनजातीय समाज के शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है।

जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए निवासी स्थान विशेष से थोड़ा स्थान बालवाड़ी जैसे कार्यक्रम के लिए लिया जा सकता है, जिसमें शिक्षा प्रदान करने का कार्य कोई बाहरी नहीं अपितु उस जनजाति से ही किसी महिला को नियुक्त किया जा सकता है) प्रथम, 2018, P-10(। इसमें समुदाय के 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।

जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा और संस्कृति के एक साथ हस्तांतरण के लिए कहानी माध्यम से शिक्षण किया जा सकता है जिसमे कहानी के माध्यम से समुदाय के इतिहास का ज्ञान कराया जा सकता है। प्रथम का ही एक विशेष कार्यक्रम है, विद्यालय आधारित पुस्तकालय) प्रथम, 2018, P-18 (जिसकी तर्ज पर जनजातीय क्षेत्र में भी इस तरह के कार्यक्रम चलाये जा सकते हैं। इसके अलावा अनुभव को साझा करने के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है जिसमें गाँव के बड़े-बुजूर्ग अपने निजी अनुभव को साझा कर सकेंगे एवं साथ ही बच्चों को वनस्पतियों से तथा आयुर्वेद से सम्बंधित ज्ञान दे सकेंगे।

जनजातियों के शिक्षा में भाषा की समस्या एक प्रमुख समस्या के रूप में सदैव ही बनी रही है इसके समाधान के लिए कक्षाओं में अंग्रेजी अथवा हिंदी की वाचिक भाषा की एक कालावधि निर्धारित की जा सकती है जिससे बच्चे भाषा सम्बन्धी ज्ञान भी अर्जित कर सकें और अन्य शिक्षा से जुड़ी सूचनाओं को समझने में सक्षम हो सकें जिस प्रकार प्रथम में एक कार्यक्रम स्पोकन इंग्लिश का होता है जिससे बच्चों को अंग्रेजी सिखाया जा सके (प्रथम,2018 , P-20)।

प्राथमिक कक्षा में आवश्यक सुधार के लिए सर्वप्रथम पाठ्यक्रम में सुधार करना होगा। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे प्राप्त की जा रही शिक्षा में केवल ज्ञानात्मक बात पर बल न देकर बल्कि कौशल विकास को भी इसमें सम्मिलित किया जाये। कौशल विकास को शिक्षा का अभिन्न अंग बना देने से यह लाभ होगा कि अभिभावक शिक्षा से जुड़ेंगे क्योंकि उन्हें इसमें अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित दिखेगा। उपर्युक्त वर्णित शोध में भी यह बताया गया है कि ज्यादातर आदिवासी लोग तात्कालिक लाभ की ओर ध्यान देते हैं ऐसे में यदि उन्हें उनके आवश्यकतानुसार शिक्षा प्राप्त होती प्रतीत होगी तो वे सरकार द्वारा चलायी जा रही शिक्षा से सम्बंधित तमाम योजनाओं से जुड़ना चाहेंगे।

प्राथमिक शिक्षा की लचर शुरुआत के पश्चात माध्यमिक शिक्षा में जो विद्यार्थी पहुंचते हैं उनमे उपलब्धि अभिप्रेरणा की कमी होती है। इस अध्ययन में यह पाया गया कि शहरी तथा जनजातीय ग्रामीण विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा में सार्थक अंतर था। शहरी बच्चों की तुलना में ग्रामीण बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा कम थी)सारंगी, 2015)। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा में आवश्यक सुधार के लिए विभिन्न शैक्षिक कायक्रमों का आयोजन किया जाय एवं शैक्षिक भ्रमण पर भी विद्यार्थियों को ले जाया जाय जिससे उनमे विभिन्न संस्कृतियों को देखने और समझने का अवसर मिले साथ ही विद्यार्थी जब अन्य लोगों को आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो उनमे भी आगे बढ़ने और कुछ सीखने की ललक पैदा होगी जिससे उनकी उपलब्धि अभिप्रेरणा में वृद्धि होगी।

आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों को खोलने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा विद्यालय भवनों का निर्माण शिक्षा के सामान्य कोष व साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत किया जाना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ विद्यालय घर से दूर है वहां छात्रावास की व्यवस्था लड़कियों की भांति लड़कों के लिए भी करना चाहिए। कम से कम प्राथमिक स्तर तक शिक्षण के माध्यम में एक जनजातीय भाषा को अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। शिक्षकों का चयन आदिवासियों में से ही किया जाना चाहिए और समुचित संख्या में आवश्यक छूट दी जानी चाहिए। जनजातीय भाषा जानने वाले गैर आदिवासी शिक्षकों का चयन भी किया जा सकता है। आदिवासी क्षेत्रों में अधिकाधिक संख्या में प्रथम की तर्ज पर बालवड़ियों को खोलना

चाहिए एवं शिशु सदनों व शिशु केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। भाषा की समस्या को ख़तम करने के लिए अंग्रेजी व हिंदी की व्याकरणिक एवं वाचिक कक्षों का आयोजन करना चाहिए। 1995 से शुरू हुए मध्यान्ह भोजन योजना को इन क्षेत्रों में सफल संचालन के लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। आदिवासियों की आवश्यकता के अनुरूप ओद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करना चाहिए एवं इससे सम्बंधित संस्थानों का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा प्रदान करते समय इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित न रहे बल्कि इसमें कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए जिससे आदिवासी लोग एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें। शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से होने पर न केवल शिक्षित आदिवासी बेहतर जीवन जियेंगे और अपनी रक्षा कर सकेंगे बल्कि विविध प्रकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी उठा पाएंगे। आदिवासियों में खेल-कूद के प्रति वंशागत प्रतिभा होती है। इस क्षेत्र में उनकी प्रतिभा की कद्र कर खेल-कूद से सम्बंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। जनजातियों के विकास में शिक्षा ही वह साधन है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर इन्हें समाज के अन्य लोगों के साथ खड़ा कर सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. 13वीं अन्यूअल स्टेटस ऑफएजुकेशन रिपोर्ट) 2018(, नई दिल्ली
2. प्रथम, दिल्लीएजुकेशन इनिशिएटिव, वार्षिक आख्या) 2017-18), नई दिल्ली
3. पाण्डेय, वी).2018 .(सम्पदा, मध्यप्रदेश की जनजातीय सांस्कृतिक परंपरा का साक्ष्य, आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद, भोपाल का प्रकाशन
4. सिंह, ए) .2018 .(भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, इलाहाबाद: इलाहाबाद प्रकाशन
5. शैक्षिक सर्वेक्षण प्रभाग,) 2016(, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
6. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग की आख्या) 2016 (
7. गुप्ता, एस.पी.(2015), भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्यायें, प्रयागराज: शारदा पुस्तक भवन
8. कंगाली, एम) .2011(, पारी कुपार लिंगो गोंडी पुनें दर्शन, उज्जल सोसायटी, नागपुर: एसबी कमप्युटर
9. भारत शासन जनजाति विकास मंत्रालय सर्वेक्षण आख्या) 2008 (
10. उपाध्याय, पी) .2009 .(भारतीय शिक्षा मे उदीयमान प्रवृत्तियाँ, इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन
11. कुजूर, एन).2008(, कोरवाँ जनजाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन, रायपुर, पं .रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
12. शर्मा, ए) .2008 .(ए स्टडी ऑफ एलीएनेशन अकेडमिक प्रोग्राम एण्ड एट्टीट्यूड टूवर्ड्सएजुकेशन ऑफ जनरल, ओबीसी एण्ड एससी/एसटी .अप्रकाशित शोध ग्रंथ, फैजाबाद: अवध विश्वविद्यालय
13. परिदा, ए .के) .2007 .(ए स्टडी ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट एंड अकेडमिक अचिवमेंट इन रिलेशन तो सोशिओ-मैट्रिक स्टेटस ऑफ ट्रायबल स्टूडेंट्स इन वेरिंग स्कूल सेटिंग: टीचरएजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, Vol-3
14. पुरबसकर,) 2007 .(क्रिएटिव टेलेंट्स ऑफ ट्रायबल चिल्ड्रेन इन रिलेशन तो देयर अकेडेमिक अचिवेमेंट, शोध ग्रंथ: ओड़ीसा, एफ .के .विश्वविद्यालय
15. राऊत, के) .2007 .(ए स्टडी ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द ट्राईब्स ऑफ किंझोर जिला, ओड़ीसा, शोध ग्रंथ: उत्कल विश्वविद्यालय
16. दास, बी .सी) .2006 .(इंटरवेंशन इन ट्रायबलएजुकेशन एट प्राइमरी स्टेज एंड इट्स एफेक्टिवनेस इन ओड़ीसा, इलाहाबाद, डी .फिल .शोध ग्रंथ: इलाहाबाद विश्वविद्यालय
17. सिंह, आर) .2003 .(अबूझमाड़िया जनजाति के विकास कार्यक्रमों का मानवशास्त्रीय मूल्यांकन, शोध प्रबंध, रायपुर :पं .र .वि.वि.
18. वर्मा आर) .2003(, भारतीय जंजातियाँ, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार
19. मोहापात्रा, के) .2002 .(टू बेसिक प्रोब्लम इन ट्रायबलएजुकेशन, भुवनेश्वर: द मॉडर्न बुक डिपो
20. मालाविका, के) .1996(. वुमेनएजुकेशन इन इंडिया: सोशल एक्शन, Vol-86
21. शर्मा, वी .के) .1993 .(कमार जनजाति का मानव शास्त्रीय अध्ययन, शोध प्रबंध
22. माथुर, पी .आर .जी) .1992 .(ट्रायबलएजुकेशन केरला, ट्रायबल ट्रांसफ़ोरमेशन इन इंडिया, Vol-4, नई दिल्ली : इंटर इंडिया पब्लिकेशन
23. श्रीवास्तव, एवर्ग कमजोर के भारत .(1992) .आर ., इलाहाबाद: ज्ञानदीप पब्लिकेशन
24. घोस, के) .1986 .(ट्रायबलएजुकेशन, सोशल एक्सन, Vol-3
25. पटेल, टी) .1984 .(डेवलपमेण्ट ऑफएजुकेशन एमंग ट्रायबल वुमेन, दिल्ली: मित्तल प्रकाशन
26. साहा, आर .एन) .1974 .(माध्यमिक शिक्षा मे एससी एवं एसटी विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन, पश्चिम बंगाल: बुलेटिन ऑफ द कलचरल रिसर्च इंस्टीट्यूट
27. मजूमदार, डी .एन) .1973 .(ए ग्लिप्स ऑफ गारो पॉलिटिक्स: इन नॉर्थ ईस्टर्न अफेयर्स
28. शर्मा,वी .डी).1966 .(ट्रायबलएजुकेशन इन राजस्थान, उदयपुर, ट्रायबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एण्ड ट्रेनिंग सेंटर
29. एल्विन, वी) .1963 .(द डेमॉक्रसि ऑफ एनईएफ़ए, ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटी प्रेस
30. वेरियर ,ए) .1963 .(ए न्यू डी फॉर ट्रायबल इंडिया, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
31. चाट्टोपाध्याय, के .पी) .1953(. जनजातीय शिक्षा, मैन इन इंडिया, Vol -33
32. लाल, आर .बी., भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएँ, मेरठ :रस्तोगी प्रकाशन

Reference list

1. 13th Annual Status of Education Report (2018), New Delhi
2. First, Delhi Education Initiative, Annual Report (2017-18), New Delhi
3. Pandey, V. (2018). Evidence of Tribal Cultural Tradition of Sampada, Madhya Pradesh, Publication of Academy of Tribal Folk Arts and Languages Development Madhya Pradesh Culture Council, Bhopal
4. Singh, A. (2018). Indian Constitution and Polity, Allahabad: Allahabad Publication
5. Educational Survey Division, (2016), National Council of Educational Research and Training, New Delhi
6. National Commission for Scheduled Tribes (2016)
7. Gupta, SP (2015), History and Development of Indian Education, Problems, Prayagraj: Sharda Book Building
8. Kangali, M. (2011), Pari Kupar Lingo Gondi Punen Darshan, Ujjal Society, Nagpur: SB Computer
9. Government of India Tribal Development Ministry Survey Report (2008)
10. Upadhyay, P. (2009). Emerging Trends in Indian Education, Allahabad: Sharda Book Building
11. Kujur, N. (2008), Sociological Study of Socio Economic Status of Korwan Tribe, Raipur, Pt. Ravi Shankar Shukla University
12. Sharma, A.M. (2008). A Study of Allocation Academic Program and Attitude Towards Education of General, OBC and SC / ST. Unpublished research treatise, Faizabad: Awadh University
13. Parida, A. K. (2007). A Study of Personality Trait and Academic Achievement in Relation to Socio-Matric Status of Tribal Students in Waring School Setting: Teacher Education Institute in India, Vol-3
14. Purabaskar, (2007). Creative Talents of Tribal Children in Relation to Their Academic Achievement, Research Treatise: Odisha, F. K. The university
15. Raut, K. (2007). A Study of Quality of Life of the Tribes of Kinjhor District, Odisha, Research Book: Utkal University
16. Das, B. C. (2006). Intervention in Tribal Education at Primary Stage and its Affectiveness in Odisha, Allahabad, D. Phil. Research work: University of Allahabad
17. Singh, R. (2003). Anthropological evaluation of development programs of Abujhmadia tribe, dissertation, Raipur: Pt. University
18. Verma R. (2003), Indian Tribes, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India
19. Mohapatra, K. (2002). Two Basic Problems in Tribal Education, Bhubaneswar: The Modern Book Depot
20. Malavika, K. (1996). Women Education in India: Social Action, Vol-86
21. Sharma, V.K. (1993). Human classical study of the Kamar tribe, dissertation
22. Mathur, P.R. G. (1992). Tribal Education Kerala, Tribal Transformation in India, Vol-4, New Delhi: Inter India Publication
23. Srivastava, A.M. R. (1992). The Weaker Sections of India, Allahabad: Gyanandeep Publications
24. Ghose, K. (1986). Tribal Education, Social Excision, Vol-3
25. Patel, T. (1984). Development of Education between Tribal Women, Delhi: Mittal Publications
26. Saha, R. N. (1974). Study of Educational Achievement of SC and ST Students in Secondary Education, West Bengal: Bulletin of the Cultural Research Institute
27. Majumdar, DN (1973). A Glimpses of Garo Politics: In North Eastern Affairs

28. Sharma, V. D. (1966). Tribal Education in Rajasthan, Udaipur, Tribal Research Institute and Training Center
29. Alvin, V. (1963). The Democracy of NEFA, Oxford: Oxford University Press
30. Verrier, A. (1963). A New D for Tribal India, Ministry of Home Affairs, Government of India
31. Chattopadhyay, K. P. (1953). Tribal Education, Man in India, Vol- 33
32. Lal, R. B., Development and Problems of Indian Education, Meerut: Rastogi Publication